भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2877

उत्तर देने की तारीख 19 मार्च, 2021

शुक्रवार, 28 फाल्गुन, 1942 (शक)

दो-वर्षीय अध्येतावृत्ति कार्यक्रम

2877 श्री अश्वनी वैष्णव:

क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने नौ भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) में लोक नीति और प्रबंधन में दो-वर्षीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रमाण-पत्र कार्यक्रम आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) मंत्रालय का इस कार्यक्रम को आरंभ करने का क्या उद्देश्य है और इसके अंतर्गत कितनी अध्येतावृत्ति प्रदान की जाएंगी; और

(घ) इन अध्येताओं को अध्येतावृत्ति पश्चात क्या अवसर उपलब्ध हैं और क्या सरकार का उन्हें राज्य/जिला स्तरीय संगठनों में व्यावसायी शिक्षुओं/परामर्शदाताओं के रूप में पदस्थापित करने का विचार है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री राज कुमार सिंह)

(क) और (ख) जी हां, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने विश्व बैंक ऋण सहायता प्राप्त अपनी आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) स्कीम के तहत अकादमिक साझेदार के रूप में आईआईएम बैंगलोर के साथ मिलकर दो वर्षीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमजीएनएफ) कार्यक्रम का पहला चरण 08.03.2020 को शुरू किया है। वर्तमान में, एमजीएनएफ कार्यक्रम के चरण-1 के तहत छह राज्यों अर्थात गुजरात, कर्नाटक, मेघालय, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 69 जिलों में 69 अध्येता तैनात किए गए हैं। इसके अलावा, देश भर के सभी जिलों (एमजीएनएफ के चरण-1 में पहले से शामिल जिलों को छोड़कर) को कवर करने के लिए एमजीएनएफ कार्यक्रम (चरण-II) को राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रारम्भ किया गया है, जिसके लिए 13-02-2021 को विज्ञापन

जारी किया गया था। एमएसडीई ने एमजीएनएफ कार्यक्रम के चरण-II के लिए अकादमिक भागीदारों के रूप में कार्य करने के लिए 9 आईआईएम नामत: आईआईएम बैंगलोर, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम लखनऊ, आईआईएम कोझिकोड, आईआईएम विशाखापट्टनम, आईआईएम-उदयपुर, आईआईएम नागपुर, आईआईएम रांची और आईआईएम-जम्मू को शामिल किया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय अध्येता होने के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

i. उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री की न्यूनतम अर्हता हो;
ii. उम्मीदवार भारत का नागरिक हो।
iii. उम्मीदवार 21-30 वर्ष के आयु-वर्ग में हो।
iv. उम्मीदवार क्षेत्र कार्य के राज्य की आधिकारिक भाषा में प्रवीण हो।

अध्येता भारत सरकार के कर्मचारी नहीं होंगे। अध्येताओं को प्रथम वर्ष में 50,000 रुपए प्रति माह और दूसरे वर्ष में 60,000 रुपए प्रति माह की वृत्तिका दी जाती है। कार्यक्रम के पूरा होने पर, अध्येता को मेजबान आईआईएम द्वारा सार्वजनिक नीति और प्रबंधन में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

(ग) कौशल इकोसिस्टम में पहचान की गई प्रमुख चुनौतियों में से एक, विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जानकार व्यक्तियों का, विशेष रूप से जिला स्तरों पर उपलब्ध नहीं होना है। इस अंतर को दूर करने के लिए एमएसडीई द्वारा एमजीएनएफ कार्यक्रम शुरू किया गया है जो जिला कौशल समितियों (डीएससी) को सुदृढ़ बनाने के लिए जिला स्तर पर गहन क्षेत्र निमज्जन के साथ चयनित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) में कक्षा सत्रों को जोड़ता है। जिला कौशल समिति का अध्यक्ष होने के नाते जिला कलेक्टर, जिला कौशल इकोसिस्टम में एमजीएनएफ के लाभ प्राप्त करने वाला नोडल व्यक्ति होता है। एमजीएनएफ कार्यक्रम को देश भर के सभी जिलों को कवर करने के लिए तैयार किया गया है, इसलिए प्रदान की जाने वाली अध्येतावृत्ति 700 से अधिक होगी।

(घ) वर्तमान अध्येतावृत्ति कार्यक्रम में, राज्य/जिला स्तरीय संगठनात्मक व्यवस्था के भीतर पेशेवर इंटर्न/परामर्शदाता के रूप में उन्हें शामिल करने की कोई वचनबद्धता नहीं दी जाती है।

****